मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल दिनांक 19 /08/2014

क्रमांक 2866 /3942/2011/ई/चार:- राज्य शासन एतद् व्दारा शासकीय चेकों की वैद्यता अवधि से संबंधित पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए शासकीय चेकों (निर्माण विभाग, वन विभाग एव **ई-चेक** सहित) की वैद्यता अवधि, चेक जारी होने के दिनांक से तीन माह निर्धारित करता है।

2/ चेक जारी होने के दिनांक से तीन माह से पहले, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण चेक की वैद्यता अवधि समाप्त नहीं होगी अर्थात किसी वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी को जारी किया गया चेक अगले वित्तीय वर्ष में 27 मई तक भुगतान योग्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृ.2867 /3942/2011/ई/चार,
भोपाल,दिनांक 19 /08/2014

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
3. आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल।
4. महाप्रबंधक,बैंकिंग,भारतीय रिजर्व बैंक होशंगाबाद रोड, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश।
6. समस्त कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग